



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या-63/2022

जगदीश राम

बनाम्

शिवपुजन कुमार

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जगदीश राम, पिता-स्व० छेदी राम, ग्राम-लंका, पो०+थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के तहत क्रेता शिवपुजन कुमार, पिता-जगदीश राम, ग्राम-लंका, पो०+थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार के साथ मौजा-लंका, अंचल-बरवाडीह, खाता संख्या-09, प्लॉट संख्या-187 रकबा-0.27 एकड़ एवं प्लॉट संख्या-190 रकबा-0.15 एकड़, कुल रकबा-0.42 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

अंचल अधिकारी, बरवाडीह के पत्रांक-188 दिनांक 15.07.2022 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

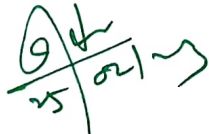
अंचल अधिकारी, बरवाडीह के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम-लंका खाता संख्या-09, प्लॉट संख्या-187 रकबा-0.27 एकड़ एवं प्लॉट संख्या-190 रकबा-0.15 एकड़, कुल रकबा-0.42 एकड़ भूमि आवेदक की खतियानी सह जमाबंदी रैयती भूमि है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों पीछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं एवं एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास कुल-0.78 एकड़ भूमि शेष बचता है। भूमि बिक्री की

१५

स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गयी है।

अतः छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1)(बी) के अंतर्गत विक्रेता जगदीश राम, पिता-स्व० छेदी राम, ग्राम-लंका, पो०+थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार को क्रेता शिवपुजन कुमार, पिता-जगदीश राम, ग्राम-लंका, पो०+थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार के साथ मौजा-लंका, अंचल-बरवाडीह, खाता संख्या-09, प्लॉट संख्या-187 रकबा-0.27 एकड़ एवं प्लॉट संख्या-190 रकबा-0.15 एकड़, कुल रकबा-0.42 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, लातेहार एवं उभय पक्षों को भेजे तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।



उपायुक्त,
लातेहार।



उपायुक्त,
लातेहार।

ick any One

BC Favouring